(03)

प्रपत्र – 'क'

(नियम 3(1) देखें) B.D.N. 33/18-19

कम्प्यूटरीकृत आगत पंजीयन संख्या 117977

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र

आई०डी०सं० .... दिनांक .... (कार्यालय प्रयोग के लिए) 19/4/18

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी (विभाग/कार्यालय) महोदय - सह - उप निदेशक महोदय (क्रय एवं परिवहन) पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना ।

1. आवेदक का नाम - रामाशीष महतो
2. आवेदक के पिता/पति का नाम - स्व. कपिलेश्वर महतो
3. (क) आवेदक का स्थायी पता–
   ग्राम/मुहल्ला मोजमपुर । नगर/पंचायत → हरिपुर ।
   वार्ड नं०/होल्डिंग/सड़क 17 डाकघर → बहेरवाला
   पुलिस स्टेशन → बहेड़ा । जिला → दरभंगा (बिहार)

   (ख) आवेदक का पत्राचार का पता– वर्तमान पता → रामाशीष महतो द्वारा → श्री भुवण कुमार शर्मा सेन्ट पॉल स्कूल से सीधे पश्चिम स्व डॉ० शिव कुमार सिंह के नया मकान से उत्तर मोहनपुर रोड, विवेक विहार पो० – काशीपुर जिला – समस्तीपुर (बिहार)

   (ग) ई-मेल का पता (अगर कोई हो)

   (घ) दूरभाष संख्या (आवास) —×— कार्यालय

167 / सू०को० (अ.उ) 20-4-18

4. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षिप्त में दें)

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक:- 3/एम०-52/2013 सा० प्र० – 8322 दिनांक :→ 10-06-2015 के निर्देशानुसार बिहार राज्य के सभी पथ अंचलों, पथ प्रमंडलों तथा पथ अवर प्रमंडलों के पदाधिकारियों को कंडिका -(2) एवं (3) के तहत निर्देश विभागीय स्तर पर दी गई है की नहीं, यदि निर्देश विभागीय स्तर पर दी गई है तो उस आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जाय यदि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक :- 8322 दिनांक :- 10-06-2015 के निर्देशानुसार विभागीय स्तर पर बिहार के सभी पथ अंचलों, पथ प्रमंडलों तथा पथ अवर प्रमंडलों के पदाधिकारियों को कंडिका (2) एवं (3) के तहत निर्देश विभागीय स्तर से किन कारणों से विलंब की गई है, इसकी कारण सहित स्पष्ट उत्तर देने की कृपा की जाय ।

सू०को० प्रोत्साहन 20.4.18

अनु० – यथोक्त

5. घोषणा–मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी पुरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–08 एवं 09 के अन्तर्गत मुक्त नहीं है यह आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित है ।

6. शुल्क का विवरण:–

मैंने 10 (दस) रूपये का शुल्क के रूप में भारतीय पोस्टल ऑर्डर (~~यथा/नकद/ नन-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक (क) संलग्न~~) .... जो लोक सुचना पदाधिकारी सह – उप निदेशक महोदय (क्रय एवं परिवहन) पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना । ~~पदाधिकारी~~ के नाम से इस आवेदन (प्रपत्र-क) के साथ संलग्न कर दीया हूँ ।

~~ई०~~ .... ~~संलग्न है।~~

~~स्थान~~ 48/ 25/04/18

~~दिनांक~~ ....

रामाशीष महतो

आवेदक का हस्ताक्षर

या अंगुठे का निशान 16-04-2018

(02)

पत्रांक –3/एम० –52/2013सा०प्र०...8322/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 10.6.2015

विषयः– **उच्च पदस्थ पदाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सभ्य आचरण एवं मर्यादित व्यवहार करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के आचार विनियमित किये जाने के उद्देश्य से "बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976" (समय–समय पर यथा संशोधित) गठित है।

2. नियमावली के नियम–3(1) द्वारा प्रत्येक सरकारी सेवकों के प्रसंग में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि–

हर सरकारी सेवक सदा –

(i) पूरी शीलनिष्ठा रखेगा;

(ii) कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा; और

(iii) ऐसा कोई काम न करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो।

3. परंतु, सरकार के संज्ञान में ऐसी बातें आ रही हैं कि विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित उच्च पदाधिकारियों द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने, उनके प्रति प्रतिदिन असंसदीय भाषा का प्रयोग करने, उन्हें अकारण मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, बात–बात पर अनावश्यक एवं अकारण निलम्बन एवं विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने जैसी कार्रवाईयाँ की जा रही हैं। इससे अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के मनोबल एवं उनकी कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक तो है ही साथ ही इसे राज्य के स्वस्थ लोक प्रशासन के अनुकूल भी नहीं माना जा सकता है।

4. अतः अनुरोध है कि अपने समस्त अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति सभ्य आचरण एवं मर्यादित व्यवहार किया जाना सुनिश्चित करते हुए अपने अधीनस्थों को भी ऐसा ही व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाय ताकि प्रशासन में सद्भाव कायम रहे और बेहतर कार्य माहौल का निर्माण संभव हो सके।

विश्वासभाजन

(आमिर सुबहानी) 10.6.15
सरकार के प्रधान सचिव।

सूचना के लिए आवेदकों को गलत मुकदमों में फंसाना

बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना (पत्र संख्या-8/सू.अ.-15-12/09 (I) का.-9420, दिनांक 18-09-2009)। प्रेषक, अनुप मुखर्जी, मुख्य सचिव, बिहार, पटना

विषय:-सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आवेदकों को गलत मुकदमों में फंसाये जाने तथा अन्य प्रकार से प्रताड़ित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर पूर्व में पत्रांक 12433 दिनांक 19.12.2007 के द्वारा निर्देश दिया गया है कि सूचना के अधिकार अन्तर्गत सूचना मांगने वाले आवेदकों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत फंसाने अथवा अन्य प्रकार से प्रताड़ित करने के कुछ मामले प्रकाश में आये हैं जिसे सरकार ने गंभीरता से लेते हुए निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों की जांच करायी जायेगी और दोषी पाये जाने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को कठोर सजा दी जायेगी। फिर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कतिपय अधिकारी इन निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तथा सूचना के अधिकार अन्तर्गत आवेदकों के विरूद्ध भा.द.वि. के अन्तर्गत भी झूठे मुकदमें दर्ज कराये जाने की शिकायत प्राप्त हो रही है।

राज्यादेश [189

2. सूचना का अधिकार राज्य की जनता का एक लोकतांत्रिक अधिकार है तथा जनसाधारण के सशक्तिकरण, प्रशासन में पारदर्शिता तथा सुशासन के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए प्रभावी अस्त्र है। अत: सरकारी पदाधिकारी से अपेक्षा है कि वे सूचना मांगने वाले व्यक्तियों का सम्मान करते हुए सूचना उपलब्ध कराने में सकारात्मक भूमिका निभायें। इसके विपरीत आचरण करने वालों को कर्त्तव्य की उपेक्षा करने तथा कदाचार में लिप्त होने का दोषी माना जायेगा। जिसके लिए विभागीय कार्यवाही एवं वृहद् दण्ड भी दिया जा सकेगा।

3. सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध झूठे आपराधिक मुकदमें दायर करने के समाचारों को सरकार ने अत्यन्त गंभीरता से लेते हुए निर्णय लिया है कि इस संबंध में प्राप्त प्रत्येक शिकायत की वरीय अधिकारियों से जांच करायी जायेगी तथा दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध गंभीरतम अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

4. इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि गृह विभाग के द्वारा एक हेल्प लाईन स्थापित की जायेगी जिसका टेलिफोन नम्बर प्रेस तथा अन्य माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित करते हुए उपरोक्त प्रकार के झूठे मुकदमों से पीड़ित व्यक्तियों की शिकायत दर्ज करने का अवसर दिया जायेगा जिस पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी।

5. उपरोक्त परिस्थितियों में अनुरोध है कि इस विषय पर निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों को इससे अवगत कराते हुए सभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ◆

64

प्रपत्र 'ज'

(लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा अपने विभाग के किसी प्रशाखा से मांगी गयी सूचना हेतु)

नि॰शाखा कृपया नियम निर्गत करें Nsk 26-04-18

पत्र संख्याः–**लो.सू.को./आई०डी० सं.–33/18–19** 3043 (E) पटना, दिनांक–26/4/18

प्रेषकः

शैलेन्द्र कुमार,
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)–सह–लो०सू०पदा०,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–05,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

महाशय,

श्री रामाशीष महतो का सूचना–आवेदन दिनांक–16.04.2018, जो इस विभाग में दिनांक–19.04.2018, को प्राप्त हुआ है **(आई०डी० सं0–33/18–19)** इसके साथ संलग्न किया जाता है :–

याचित सूचना आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है लेकिन सूचना आपके प्रशाखा से संबंधित है। अतः अधिनियम की धारा–**5 (4)** के आलोक में प्रपत्र–'क' को आपके क्षेत्राधिकार/प्रशाखा से संबंधित सूचना हेतु संलग्न किया जाता है।

विदित हो कि अधिनियम की धारा–**5 (5)** के आलोक में आपके द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है एवं आवेदक को प्रपत्र–'क' विभाग में प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अतः एक सप्ताह के अन्दर प्रपत्र–'क' के आलोक में, वांछित सूचना **दो सेट में**/यदि सूचना शुल्क आवश्यक हो तो वांछित शुल्क की जानकारी, उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 25.4.18
(शैलेन्द्र कुमार),

ज्ञापांक– 3043 (E) दिनांक– 26/4/18

प्रतिलिपि : **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–05,** पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(हस्ताक्षर) 25.4.18
(शैलेन्द्र कुमार)

पथ निर्माण विभाग, कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन सं॰ 3677209
दिनांक 27-4-18

D:\Shri S. Kumar Kosang\R.T.I. FOLDER TILL-2018\PRAPTRA LETTER\praptra.-Ja.docx

(06)

नि० शाखा
कृप्या शीघ्र
निर्गत करें।
NLsk
25-05-18

प्रपत्र 'घ'

(सूचना उपलब्ध कराना)

(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्याः–**लो.सू.को./आई0डी0सं0–33/18–19** 3619 (E) पटना, दिनांक– 25/5/18

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)–सह–लो०सू०पदा०,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट सेवा में,

श्री रामाशीष महतो,
द्वारा–श्री श्रवण कुमार शर्मा,
संत पॉल स्कूल से सीधे पश्चिम,
डॉ० शिव कुमार सिंह के नया मकान से उत्तर,
मोहनपुर, विवेक बिहार, पोस्ट–काशीपुर, जिला–समस्तीपुर।

महाशय,

यह आपके सूचना–आवेदन दिनांक–16.04.2018, जो इस विभाग में दिनांक–19.04.2018 को प्राप्त हुआ है, (**आई0डी0सं0–33/18–19**) सूचना की माँग के लिए अनुरोध के प्रसंग में है।

2. याचित सूचना, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–05, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3471(E) दिनांक–21.05.2018 से प्राप्त है, को संलग्न किया जाता है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

25/5/18
(शैलेन्द्र कुमार)

ज्ञापांक– 3619 (E) पटना, दिनांक– 25/5/18

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–05, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3471(E) दिनांक–21.05.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

25/5/18
(शैलेन्द्र कुमार)

पथ निर्माण विभाग,
कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन सं० 1704
दिनांक- 28-5-18
NLsk

(05)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांकः–5 / स्था० (सु०अ०) क्षे०–18–14 / 2013 3471 (E) / पटना, दिनांक–21/5/18

प्रेषक,

सहायक लोक सूचना पदाधिकारी,
सह–प्रशाखा पदाधिकारी–प्रशाखा–5,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक (क्रय एवं परि०)–सह–
लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– आई०डी० संख्या–33 / 18–19 के तहत श्री रामाशीष महतो के द्वारा माँगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–3043 (E) अनु० दिनांक–26.04.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा आई०डी० संख्या–33 / 18–19 के तहत् श्री रामाशीष महतो के द्वारा माँगी गई सूचना के संबंध में सूचित करना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–3 / एम०–52 / 2013 सा०प्र०–8322 दिनांक–10.06.2015 प्रशाखा–05 को हस्तगत नहीं कराया गया है।

585 / सु०का० 22-5-18

विश्वासभाजन

21/5/18

सहायक लोक सूचना पदाधिकारी,
सह–प्रशाखा पदाधिकारी–प्रशाखा–5,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

21.05.18

सु०का०

591 22/05/18

22/5

D:/ranjeet/Thakur Ji/Suchna Adhi